

Tenders, Purchase & registration of contractors

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
संचालक

वल्लभ भवन भोपाल

एफ-12/24/97/11/31/

भोपाल, दिनांक 10/11/98

शासन को समस्या विभाग
समस्त संभागीय आयुवरा
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्य प्रदेश ।

विषय:- विभिन्न स्तरों पर सामग्री कय एवं होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए सुपरिभाषित कय किया निर्धारित करने के संबंध में भण्डार कय नियमों संशोधन ।

भण्डार कय नियम को नियम -2 के अधीन निविदाओं के संबंध निर्धारित सीमाओं की मुद्रास्फूती देखते हुए निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता हैं :-

पूर्व निर्धारित सीमा		पुनरीक्षित सीमा
एकल निविदा	रु.500	रु. 1,000 /-
सीमित निविदा	रु.500से रु.15000 /-	रु. 1,000 /-से रु. 25000 तक
खुली निविदा	रु. 15000 /- अथवा 15000 अधिक	रु. 25000 अथवा 25000 से अधिक

2. भण्डार कय नियमों के नियम 14 से अडिया 14-ड निम्नानुसार जोड़ा जाता है

मध्य प्रदेश तथा ग्रामीण उद्योग प्रोड् प्रदेश वर्ग विकास नियम द्वारा प्रदेश राज्य हाथकरघा सहकारी संघ मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम मध्य प्रदेश हस्त शलविकास निगम द्वारा उत्पादित निम्नालिखित वस्तुओं को सुख दर्शायी गयी संस्थाओं के शासकीय विभाग बिना निविदा बुलाये कय कर सकेंगे :-

पप्पल, पेल्ट, वैग, ब्रीफकेश, पिस्तौल,
रिवाल्वर के कवर, जैकेट

वोर्ड एवं वर्ग विकाश निगम

उनी तथा सूती परियां फरी सूती
तथा उनी कम्बल

मध्य प्रदेश यादी ग्रामीण उद्योग बोड
यह प्रदेश राज्य सरकार आनुसार
राहकारीसंघ, राज्य पत्र निगम तथा
मध्य प्रदेश हसा शिल्प विकाश निगम

पापदान अगरबत्ती कपड़ा धोने का
साबुन शहट

मध्य प्रदेश खादी बोर्ड

(2) भण्डार क़य नियमों के नियम 14 के अधिन परिशिष्ट ब में दी गई 196 वस्तुए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क़य किये जाने हेतु आरक्षित है । इस रासी में से निम्नानुसार आयटम को स्थापित किया जाता है :-

1. पशु खाद्य	2. ब्रेक लाईनिंग	3. दाप मापक
4. रोड रोलर रीम	5. गिधरी	6. ग्लूज
7. ड्रिलिंग मशीन	8. माचिस	9. वरमों के कांच
10. अलीएडतार	11. अग्नि ईट और रफ़ेक्टरोज	12. जिलेटिन
13. पालिस किए गए पत्थर	14. वस्तुओं को छड़ी के सार	15. दुधथलर नट्स
16. पिस्टन	17. रिप्रेंग पिन	18. किंगपिन पुसेरा
19. सापलेंसर	20. क्रेक साफ्ट कनेक्टींग राड	21. बटन प्लास्टिक
22. सूती तथा उनी कंबल परवस्तु नियम -5 में सम्मिलित की गई	23. पापदान	24. सचालित वाहनों संबंधी वस्तुएँ जैसे स्प्रिंग सीफ हवड्रग धुराज (।।) सवीली पतियाँ (।।) सव ड्रग
28. साईतिक तथा साईकिल के भाग	29. स्पिरिट, मध्यतार अल्कोहल अल्कोहलीय उत्पादन	30. ट्रक्टर के पूर्ण तथा उपकरण
31. कुआ बोरिंग करने के संयंत्र	32. इनामल पुता लाहेका सामान	33. एम्प्लीफायर
34. काकरी	35. टीनों तथा डीब्बों में बंद खाद पदार्थ	36. ड्राईंग तथा क्राफ्ट पेपर
37. पिन्त-स्प्लीट टेपर कीटर आदि	38. मंडियां	39. हेंड पेन, द्याश टपतिक स्लेब-द्यूरिनल
40. आटोमोबाईल एंव राल	41. वायपर एंव हार्न	42. स्पीडमोटर केवल
43. कमुटेटर	44. गत्ते	45. अग्नि मिटटी
46. मशीन स्कू तथा लकड़ी के स्कू	47. वर्कशाप मशीन मशीन टूल	

(4) भण्डार क़य नियमों के नियम-14-“अ”में दर्शित नियमों के साथ म.प्र. हस्तशिल्प विकास निगम का नाम जोडा जाता है ।

(5) भण्डार कय नियमों के नियम-16 निम्नानुसार जोडा जाता हैं :-

नियम-16:

----- लघु उधोग निगम द्वारा लिया जाने वाला सेवा-शुक्ल की अधिकतम सीमा दो प्रतिशत से अधिक न होगी ।

(6) यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क02000/एस.आर-4/5-2/90 सीमित दिनांक 12.11.98. द्वारा महाभियाकार म.प्र. ग्वालियर को पृष्ठांकित किया जाता हैं

म.प्र. के राज्य के नाम से
तथा आदेशानुसार
(एस.आर.वोरे)
अपर सचिव
म.प्र.शासन,या शिज्य एवं उधोग विभाग

-4-

पृ0कं0एफ:12-24/97/11/अ
प्रतिलिपि :-

भेपाल दिनांक 10-11-90

- 1 सचिव ,म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर लीय अतिरिक्त प्रगति सहित माहलखाकार म.प्र. ग्वालियर को पृष्ठांकन हेतु ।
- 2 महलखाकार म.प्र. ग्वालियर/लेखा परिक्षा /लेखा एवं हकदारी , ग्वालियर
- 3 महासहिम राज्यपाल के सचिव म.प्र. भोपाल ।
- 4 सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. भोपाल ।
- 5 सचिव, राज्य सतर्कता आयोग , म.प्र. भोपाल ।
- 6 प्रबंध संचालक म.प्र. लघु उधोग निगम, भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उधोग विभाग